

सन्दर्भ सं ०/

/ एसआईडीसी / आईए / एचओ / पालिसी वाल्यूम-15-दिनांक

### — कार्यालय आदेश:—

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30.6.11 को सम्पन्न 274वीं बैठक में निगम के औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में लागू हस्तान्तरण की नीति को नोएडा/ग्रेटर नोएडा के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दृष्टि से प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तृत चर्चा के पश्चात यह निर्धारित किया कि निगम में हस्तान्तरण लेवी की अधिकतम दर को ग्रेटर नोएडा में लागू अधिकतम दर-प्रचलित दर का 10 प्रतिशत के समतुल्य कर दिया जाए। इस प्रकार से वर्तमान में लागू हस्तान्तरण लेवी दर को निम्नवत लागू करना निर्धारित किया गया है :—

(क) रिक्त भूखण्डों के लिये

हस्तान्तरण / आबंटन के	लेवी धीमी गति क्षेत्र में प्रचलित दर का	लेवी तीव्र / अति तीव्र गति क्षेत्रों में प्रचलित दर का
1 वर्ष तक	2.5%	5%
1 से 3 वर्ष तक	5%	7.5%
3 वर्ष के बाद	7.5%	10%

(ख) उत्पादनरत प्रकरणों के लिये

निगम के नियमानुसार 2 वर्ष लगातार उत्पादनरत होने तथा आच्छादित क्षेत्रफल के 10/3 भू-भाग पर 5% (तीव्र गति) 2.5% (धीमी गति), शेष भाग पर 10% (तीव्र गति) 7.5% (धीमी गति) की दर से हस्तान्तरण लेवी देय होगी।

उपरोक्त हस्तान्तरण लेवी की दरे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(देवी शंकर शर्मा)  
अपर प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं ०/ ३६५ २०७६/एसआईडीसी/आईए/एचओ/पालिसी वाल्यूम-15- दिनांक ०९.८.१।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- अपर प्रबन्ध निदेशक, कैम्प, उ०प्र०रा०आ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- समस्त विभागध्यक्ष, उ०प्र०रा०आ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०आ०वि०नि०लि०।
- समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (आ० क्षेत्र) उ०प्र०रा०आ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

१८.८.१।  
(देवी शंकर शर्मा)  
अपर प्रबन्ध निदेशक